

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री भगवत सिंह देवल

तारीख रजू— 17/03/2016

संख्या 55/16

—अपीलार्थी

पुत्र मोज्या जाति मीना निवासी ग्राम कोडली नदी तहसील मलारनाडूंगर।
बनाम
गर जरिये तहसीलदार, मलारनाडूंग।

रेस्पो0

दिनांक—19/05/2016

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, मलारनाडूंगर द्वारा मिसल संख्या 534/16 में पारित आदेश दिनांक 18/01/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कोडली नदी की आराजी खसरा नम्बर 1209 रकवा 0.75 हैक्टर किस्म गै0मु0नाला पर संवत 2072 रवी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थात् दण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व फसल जब्त कर नीलाम करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थी को आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय परोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत में रखा गया।

अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी को सुना तो उसने अवगत कराया कि अपीलार्थी ने ग्राम कोडली नदी की आराजी खसरा नम्बर 1209 रकवा 0.75 हैक्टर किस्म गै0मु0नाला पर से अपना कब्जा हटा लिया है। मोकें पर कोई कब्जा नहीं है तथा इस बाबत जाँच करवाने हेतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने भविष्य में अतिक्रमण आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने की सहमति भी जताई है तथा अतिक्रमण आराजी से कब्जा हटाने व भविष्य में अतिक्रमण आराजी पर कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी की सजा निरस्त करने से पूर्व मोकें की जाँच करवायी जावे। यदि अपीलार्थी का अतिक्रमण आराजी पर कब्जा नहीं हो तो ही सिविल कारावास की सजा निरस्त फरमायी जावे अन्यथा यथावत रखी जावे।

अतः अपीलार्थी व परोकार सरकार को सुनने के पश्चात राजस्व लोक अदालत की भावना से अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण तहसीलदार मलारनाडूंगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वयं मोकें पर जाकर जाँच करे कि अपीलार्थी का अतिक्रमण आराजी पर वर्तमान में कब्जा रहा है अथवा नहीं। यदि वाद जाँच अपीलार्थी का कब्जा नहीं हो तो अपीलार्थी निर्णय में पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त समझे अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुंजबिहारी शर्मा)
एडवोकेट,
बैंच सदस्य

भगवत सिंह देवल
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर